

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पारायणनाथ बनाम अर्जुननाथ (वर्ग 2)

किस्म मुकदमा प्री-पत्र घारा 111-128 नं० 233 सन 2024

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की त में जारी:
14-6-24	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 25-6-24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
25/6 24	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन वाड लामिल ठेकर पावली जिसे शां पठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार बक-बक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही छिपे जाने का आदेश दिया जा रहा है वकील प्रार्थीगण का पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फिल शुमार ठेकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	